दूरभाष (का.) – 2551650
2761567
(फैक्स) -- 2551499

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

डी. डी. अग्रवाल
आई.ए.एस.
सचिव

पत्र क्र. 2360/प.प्र./08
दिनांक 16/6/08

शैक्षणिक सत्र 2008–09 के लिये मण्डल की ओर से आपको शुभकामनायें। किसी भी संस्था में नियमित विद्यार्थियों के प्रवेश देने के संबंध में पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था प्रमुख के रूप में प्राचार्य का होता है। प्रवेश के संबंध में महत्वपूर्ण बिन्दुओं की जानकारी संलग्न है। कृपया इन नियम/निर्देशों के अनुसार ही संस्था में छात्रों को प्रवेश देने की कार्यवाही की जाये। प्रवेशित छात्रों की सूची संभागीय कार्यालय पर दिनांक 16.08.2008 के पूर्व जमा करानी होगी।

मण्डल समय–समय पर नामांकन, परीक्षा आदि के संबंध में निर्देश जारी करेगा। कृपया इन सभी निर्देशों को अपने पास त्वरित संदर्भ के लिये रखें तथा इनके अनुसार ही कार्यवाही सुनिश्चित करें। यदि किसी बिन्दु पर किसी प्रकार की कोई कठिनाई है तो इसके लिये मण्डल से किसी भी समय मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस शैक्षणिक सत्र में आपके सहयोग से संस्थाओं में प्रवेश एवं मण्डल परीक्षा संबंधी सभी कार्यवाही नियमानुसार समय पर सुनिश्चित हो सकेगी।

शुभकामनायें।

भवदीय

(डी. डी. अग्रवाल)

प्रति,

प्राचार्य
समस्त मान्यता प्राप्त संस्थायें
मध्यप्रदेश

माध्यमिक शिक्षा मण्डल (मा.शि.मं.) म.प्र. भोपाल

शैक्षणिक सत्र 2008–09 की समस्त मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नियमित प्रवेश के लिए नियम निर्देश

1. प्रवेश की अंतिम तिथि– (i) कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं में प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई–2008 है। नियमित प्रवेश की समस्त औपचारिकताएँ नियत दिनांक के पूर्व सुनिश्चित कर ली जाएँ।

2. अर्हकारी परीक्षा– (i) किसी भी छात्र को 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं की कक्षा में प्रवेश लेना है तो उसे क्रमशः 8वीं, 9वीं, 10वीं एवं 11वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(ii) वर्ष–2008 में कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं में अनुत्तीर्ण छात्र भी नियमित प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

3. पूरक प्राप्त छात्र– (i) किसी भी छात्र को वर्ष–2008 में पूरक परीक्षा देना हो अथवा किसी कारण से परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ हो तो उसे, अगली कक्षा में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रहेगी। पूरक परीक्षा अनुत्तीर्ण होने पर पुनः उसी कक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है। नियत दिनांक से पूर्व ऐसे छात्रों को कक्षा में प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।

4. अध्ययन अंतराल (gap) की सीमा– (i) कक्षा 8वीं एवं 10वीं उत्तीर्ण छात्र क्रमशः कक्षा 9वीं एवं कक्षा 11वीं में नियमित प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रवेश के लिए, अध्ययन अंतराल (gap) 3 वर्ष (drop out छात्रों के लिए) से अधिक नहीं होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी छात्र ने 8वीं अथवा 10वीं की परीक्षा वर्ष–2005 में उत्तीर्ण की है, तो उसे कक्षा 9वीं अथवा 11वीं में नियमित प्रवेश सत्र 2008–09 में लेने की पात्रता होगी।

(ii) लगातार दो वर्ष एक ही कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र को नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। मा.शि.मं. म.प्र. के मान्यता प्राप्त विद्यालयों के छात्रों को कक्षा 9वीं एवं 10वीं के

मध्य तथा कक्षा 11वीं एवं 12वीं के मध्य एक वर्ष का अध्ययन अंतराल (gap) मान्य होगा। एक वर्ष से अधिक अंतराल की स्थिति में छात्र को नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

5. 10वीं एवं 12वीं में सीधे प्रवेश–

(i) किसी भी शाला में कक्षा 10वीं एवं 12वीं में सीधा प्रवेश नहीं दिया जाए। शाला में क्षमता वृद्धि एवं स्थान रिक्त की स्थिति में अन्य शालाओं में अध्ययनरत् अथवा इन कक्षाओं के वर्ष–2008 के अनुत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश दिया जाए।

6. श्रेणी सुधार–

(i) मण्डल की वर्ष–2008 की 10वीं एवं 12वीं के उत्तीर्ण छात्रों को ही 10वीं एवं 12वीं में नियमित प्रवेश की पात्रता रहेगी।

7. स्थानांतरण प्रकरण–

(i) किसी पालक का स्थानांतरण, शैक्षणिक सत्र के बीच में हो जाता है तो उसके स्थानांतरण आदेश के आधार पर छात्र को संस्था में उस समय प्रवेश दिया जाएगा जब उस छात्र द्वारा 31 जुलाई–2008 के पूर्व नियमित छात्र के रूप में किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में प्रवेश ले लिया हो। जिले के अंदर स्थानांतरण जिला शिक्षा अधिकारी एवं संभाग के अंदर स्थानांतरण की स्थिति में संभागीय अधिकारी मा.शि.मं. की अनुमति प्राप्त करना होगी। अंतर–संभागीय स्थानांतरण की स्थिति में मा.शि.मं.म.प्र. से प्रवेश की अनुमति 30 नवम्बर–2008 तक प्राप्त की जाये।

8. अन्य राज्यों/बोर्डों के छात्रों का म.प्र. के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश–

(i) अन्य राज्यों/बोर्डो के छात्र मा.शि.मं.म.प्र. की मान्यता प्राप्त संस्थाओं में कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं में प्रवेश लेना चाहते हैं तो उन्हें अस्थाई प्रवेश देकर उनकी अर्हकारी परीक्षा की समकक्षता एवं नामांकन संबंधी प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में शुल्क सहित एवं मूल अंकसूची, मूल प्रतिहस्ताक्षरित शाला प्रमाण पत्र एवं उनकी एक–एक प्रमाणित प्रतियाँ अन्य बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित न होने का शपथ पत्र प्रवेश लेने वाले छात्र से प्राप्त कर संभागीय कार्यालय मा.शि.मं.म.प्र. में दिनांक 16 अगस्त–2008 तक प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिये मूल माइग्रेशन प्रमाण पत्र प्राप्त

करना अनिवार्य होगा। ग्राहता शुल्क 200/–, नामांकन शुल्क 85/– निर्धारित प्रपत्र में प्रति छात्र के मान से प्राप्त होने पर नामांकन संभागीय अधिकारी द्वारा किया जाएगा। परीक्षा फार्म भरने के पूर्व ग्राहता एवं कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं के नामांकन की कार्यवाही संभागीय अधिकारी सुनिश्चित करेंगे। ग्राहता का फार्म **<u>परिशिष्ट–1</u>** पर संलग्न है।

9. शालाओं द्वारा प्रवेश सूची जमा करना–

(i) कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं में प्रवेशित छात्रों की प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित प्रवेश सूची दो प्रतियों में निर्धारित प्रपत्र ई–1, ई–2, ई–3 एवं ई–4 भरकर, संभागीय कार्यालय मा.शि.मं.म.प्र. में 16 अगस्त–2008 तक जमा की जाए। प्रपत्र प्रारूप **<u>परिशिष्ट–2</u>** में संलग्न है। निर्धारित दिनांक तक प्रवेश सूची, संभागीय कार्यालयों में जमा न करने पर, प्रवेश सूची ग्राह्य नहीं की जाएगी। किसी प्रकार की पूरक सूची मान्य नहीं होगी।

10. नामांकन शुल्क–

(i) मण्डल की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए छात्र का नामांकन होना आवश्यक है। ऐसे छात्रों, जिनका नामांकन मण्डल से कराया जाना है, उनके लिए नामांकन आवेदन पत्र शुल्क रू. 5/– प्रति छात्र के मान से प्रवेश सूची के साथ जमा कराना अनिवार्य है। मण्डल कार्यालय द्वारा जितने छात्रों की शुल्क 5/– के हिसाब से नामांकन फार्म प्राप्त करने हेतु प्रवेश सूची के साथ जमा की जाएगी, उतनी ही संख्या में नामांकन आवेदन पत्र संस्था को प्रदान किए जाएंगे। छात्रों से भरे हुए नामांकन आवेदन पत्र जमा करते समय नामांकन शुल्क 80/– प्रति छात्र के हिसाब से, संस्था के प्राचार्य को जमा करना होगा।

11. परीक्षा फार्म शुल्क–

(i) कक्षा 10वीं एवं 12वीं के नियमित छात्रों के लिए परीक्षा फार्म का शुल्क रू. 30/– प्रति छात्र के मान से प्रवेश सूची के साथ जमा कराया जाना अनिवार्य है।

(ii) मण्डल द्वारा सत्र 2008–09 हेतु निर्धारित शुल्क की जानकारी **परिशिष्ट–3** पर संलग्न है। मण्डल को भुगतान करने योग्य शुल्क मण्डल द्वारा निर्धारित चालान के माध्यम से बैंक की चिंहित शाखाओं में जमा किया जाना चाहिए।

12. नियत तिथि के बाद प्रवेश–

(i) ऐसे छात्र जो शैक्षणिक सत्र 2008–09 में निर्धारित प्रवेश तिथि के बाद अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, और जिन्होंने प्रावधिक प्रवेश, मान्यता प्राप्त संस्था में निर्धारित प्रवेश तिथि के पूर्व नहीं लिया है, उन्हें मण्डल की मान्यता प्राप्त संस्थाओं की अगली कक्षा में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

13. घोषणा पत्र–

(i) प्राचार्य, सूची जमा करते समय इस आशय का घोषणा पत्र भी देंगे कि प्रवेशित समस्त छात्रों के नाम सूची में सम्मिलित कर लिए गए है। इस प्रवेश सूची के पश्चात् कोई पूरक सूची प्रस्तुत नहीं की जाएगी।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,म.प्र.
भोपाल

मण्डल विनियम 122 के अनुसार ग्राह्यता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु प्रार्थना–पत्र का नमूना

नोट :– यह प्रार्थना–पत्र **रूपये दौ सौ ग्राह्यता शुल्क** तथा वांछित मूल प्रमाण–पत्र व उनकी प्रमाणित प्रतिलिपियों सहित संबंधित विद्यालय के प्राचार्य द्वारा भेजा जाये। प्रार्थना–पत्र के समस्त कालमों की पूर्तियां की जाना अनिवार्य हैं।

1.	प्रार्थी का नाम	
2.	प्रार्थी के पिता का नाम	
3.	प्रार्थी का वर्तमान पता	
4.	जन्म तिथि	
5	प्रार्थी के पालक का नाम तथा प्रार्थी का उससे संबंध	
6.	इस मण्डल की हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये प्रार्थी द्वारा पूर्व में उत्तीर्ण अन्य बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय की मान्य अंतिम परीक्षा का नाम (उस बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय का नाम जिसमें वह अध्ययनरत था।)	
7.	उक्त परीक्षा के उत्तीर्ण होने की तिथि तथा विषयों का नाम	
8.	इस मण्डल द्वारा मान्य विद्यालय का नाम जिसमें प्रार्थी प्रवेश पाना चाहता है (प्रवेश लेने वाली कक्षा तथा विषयों का स्पष्ट खुलासा किया जाए।)	
9.	इस मण्डल द्वारा मान्य संस्था में प्रवेश चाहने का कारण।	
10.	जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित शाला त्याग प्रमाण–पत्र, मूल अंकसूची, मूल माईग्रेशन प्रमाण पत्र, एवं शपथ पत्र संलग्न किया जाए।	

दिनांक ...../...../........ परीक्षार्थी के हस्ताक्षर ....

मैं प्रमाणित करता हूँ कि प्रार्थी द्वारा ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य हैं। छात्र को इस शाला में सत्र .... में कक्षा .... में नियमानुसार अस्थाई प्रवेश दिया गया हैं। ग्राह्यता प्रदान करने हेतु सरल क्रमांक–10 में अंकित समस्त मूल दस्तावेज संलग्न करते हुये ग्राह्यता प्रदान करने की अनुशंसा की जाती हैं।

शाला का कोड ....

हस्ताक्षर प्राचार्य
पद मुद्रा

नोट :– निम्नलिखित मूल प्रमाण–पत्र और उनकी एक–एक (प्राचार्य द्वारा प्रमाणित) प्रतिलिपि प्रार्थना–पत्र के साथ भेजना अनिवार्य है। (मूल दस्तावेज जांच के उपरांत लौटा दिए जावेंगे।) किसी भी स्थिति में **बिना औपचारिकताएं पूर्ण होने से पूर्व स्थाई प्रवेश न दिया जाऐं।**

IX

E-1(IXth Class)

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

(शिक्षा सत्र 2008–2009 की कक्षा ....की प्रवेश सूची का प्रपत्र)

शाला का नाम (हिन्दी में)..शाला कोड .... शहरी/ग्रामीण ....

(अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों) ....School Code ....Rural/Urban ....

पुलिस थाना का नाम .... थाना की शाला से दूरी ....

स.क्र.	स्कॉलर रजिस्टर नम्बर	विद्यार्थी का नाम	पिता का नाम	माता का नाम	विद्यार्थी की जन्म तिथि	परीक्षा का माध्यम	लिंग (पुरूष/स्त्री)	विवाहित/अविवाहित	वर्ग (SC/ST/OBC/Other)	समूह की भाषा एवं कोड			अनिवार्य विषय कोड			शाला में प्रवेश का वर्ष एवं कक्षा	8वीं पास/9वीं फेल	संस्थागत छात्र	नवीन प्रवेशित छात्र	विद्यार्थी के हस्ताक्षर एवं दिनांक
										(I)	(II)	(III)	(I)	(II)	(III)					
टोटल																				

टीप :–

1– प्रवेश सूची कक्षावार पृथक–पृथक तैयार की जाना है।

2– भाषा एवं अनिवार्य विषयों का कोड, विषय कोड सूची से ही सही–सही अंकित किया जा जाये।

3– प्रवेश सूची का सरल क्रमांक 1 से आखिरी नम्बर तक रहेगा उदाहरण के रूप में यदि किसी शाला में कक्षा 9वीं के 395 छात्र है तो प्रवेश सूची का सरल क्रमांक 1 से 395 तक रहेगा।

4– वर्ग के कॉलम में SC., ST.,OBC,Other जो भी लागू हो, वह कोड सहित अंकित किया जावें।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्तानुसार दी गई जानकारी वर्ष 2009 की प्रवेश नीति अनुसार सही है।

कुल प्रवेशित छात्रों की संख्या :–

दिनांक :–

हस्ताक्षर

(प्राचार्य)

पद मुद्रा

परिशिष्ट–2

E-2(X[th] Class)

X

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

(शिक्षा सत्र 2008–2009 की कक्षा ....की प्रवेश सूची का प्रपत्र)

शाला का नाम (हिन्दी में)..शाला कोड .... शहरी / ग्रामीण ....

(अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों) ....School Code ....Rural/Urban ....

पुलिस थाना का नाम .... थाना की शाला से दूरी ....

स.क्र.	नामांकन क्रमांक	विद्यार्थी का नाम	पिता का नाम	माता का नाम	विद्यार्थी की जन्म तिथि	परीक्षा का माध्यम	लिंग (पुरूष/स्त्री)	विवाहित/अविवाहित	वर्ग (SC/ST/OBC/Other)	समूह की भाषा एवं कोड			अनिवार्य विषय कोड			स्कॉलर रजिस्टर में क्रमांक	शाला में प्रवेश का वर्ष एवं कक्षा	9वीं पास/10वीं फेल	संस्थागत छात्र	नवीन प्रवेशित छात्र	विद्यार्थी के हस्ताक्षर एवं दिनांक
										(I)	(II)	(III)	(I)	(II)	(III)						
टोटल																					

टीप :–

1– प्रवेश सूची कक्षावार पृथक–पृथक तैयार की जाना है।

2– भाषा एवं अनिवार्य विषयों का कोड, विषय कोड सूची से ही सही–सही अंकित किया जा जाये।

3– प्रवेश सूची का सरल क्रमांक 1 से आखिरी नम्बर तक रहेगा उदाहरण के रूप में यदि किसी शाला में कक्षा 10वीं के 395 छात्र है तो प्रवेश सूची का सरल क्रमांक 1 से 395 तक रहेगा।

4– वर्ग के कॉलम में SC., ST.,OBC,Other जो भी लागू हो, वह कोड सहित अंकित किया जावें।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्तानुसार दी गई जानकारी वर्ष 2009 की प्रवेश नीति अनुसार सही है।

कुल प्रवेशित छात्रों की संख्या :–

दिनांक :–

हस्ताक्षर
(प्राचार्य)
पद मुद्रा

E-3(XI[th] Class)

XI

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

शिक्षा सत्र 2008–2009 की कक्षा ....की प्रवेश सूची का प्रपत्र)

ाला का नाम (हिन्दी में)..शाला कोड .... शहरी / ग्रामीण ....

ंग्रेजी के केपीटल अक्षरों) ....School Code ....Rural/Urban ....

लिस थाना का नाम .... थाना की शाला से दूरी ....

स.क्र.	नामांकन क्रमांक	विद्यार्थी का नाम	पिता का नाम	माता का नाम	विद्यार्थी की जन्म तिथि	परीक्षा का माध्यम	लिंग (पुरूष / स्त्री)	विवाहित / अविवाहित	वर्ग (SC/ ST/OBC/ Other)	समूह की भाषा एवं कोड		अनिवार्य विषय कोड			स्कॉलर रजिस्टर में क्रमांक	शाला में प्रवेश का वर्ष एवं कक्षा	10वीं पास / 11वीं फेल	संस्थागत छात्र	नवीन प्रवेशित छात्र	अतिरिक्त विषय यदि लिया हो तो विषय कोड	विद्यार्थी के हस्ताक्षर एवं दिनांक
										(I)	(II)	(I)	(II)	(III)							

टोटल

टीप :–

1– प्रवेश सूची कक्षावार पृथक–पृथक तैयार की जाना है।

2– समूह के कॉलम में "कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, ललित कला, गृह विज्ञान" में से जो भी लागू हो विषय कोड सूची से सही–सही अंकित किया जाये।

3– प्रवेश सूची का सरल क्रमांक 1 से आखिरी नम्बर तक रहेगा उदाहरण के रूप में यदि किसी शाला में कक्षा 11वीं के 395 छात्र है तो प्रवेश सूची का सरल क्रमांक 1 से 395 तक रहेगा।

4– वर्ग के कॉलम में SC.,ST.,OBC,Other जो भी लागू हो, वह कोड सहित अंकित किया जावें।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्तानुसार दी गई जानकारी वर्ष 2009 की प्रवेश नीति अनुसार सही है।

कुल प्रवेशित छात्रों की संख्या :–

दिनांक :–

हस्ताक्षर

(प्राचार्य)

पद मुद्रा

परिशिष्ट–2

XII **E-4(XII^th^ Class)**

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भौपाल

शिक्षा सत्र 2008–2009 की कक्षा ....की प्रवेश सूची का प्रपत्र)

ाला का नाम (हिन्दी में)..शाला कोड .... शहरी / ग्रामीण ....

अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों) ....School Code ....Rural/Urban ....

ुलिस थाना का नाम .... थाना की शाला से दूरी ....

स.क्र.	नामांकन क्रमांक	विद्यार्थी का नाम	पिता का नाम	माता का नाम	विद्यार्थी की जन्म तिथि	परीक्षा का माध्यम	लिंग (पुरूष / स्त्री)	विवाहित / अविवाहित	वर्ग (SC/ST/OBC/Other)	समूह की भाषा एवं कोड		अनिवार्य विषय कोड			स्कॉलर रजिस्टर में क्रमांक	शाला में प्रवेश का वर्ष एवं कक्षा	11वीं पास / 12वीं फेल	संस्थागत छात्र	नवीन प्रवेशित छात्र	अतिरिक्त विषय यदि लिया हो तो विषय कोड	विद्यार्थी के हस्ताक्षर एवं दिनांक
										(I)	(II)	(I)	(II)	(III)							
टोटल																					

टीप :–

1– प्रवेश सूची कक्षावार पृथक–पृथक तैयार की जाना है।

2– समूह के कॉलम में "कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, ललित कला, गृह विज्ञान" में से जो भी लागू हो विषय कोड सूची से सही–सही अंकित किया जाये।

3– प्रवेश सूची का सरल क्रमांक 1 से आखिरी नम्बर तक रहेगा उदाहरण के रूप में यदि किसी शाला में कक्षा 12वीं के 395 छात्र है तो प्रवेश सूची का सरल क्रमांक 1 से 395 तक रहेगा।

4– वर्ग के कॉलम मे SC., ST.,OBC,Other जो भी लागू हो, वह कोड सहित अंकित किया जावे।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्तानुसार दी गई जानकारी वर्ष 2009 की प्रवेश नीति अनुसार सही है।

कुल प्रवेशित छात्रों की संख्या :–

दिनांक :–

हस्ताक्षर
(प्राचार्य)
पद मुद्रा

शिक्षण सत्र 2008–09 के लिए निर्धारित शुल्क

स. क्र.	विवरण	प्रकार	निर्धारित शुल्क रूपये
1	परीक्षा शुल्क	नियमित स्वाध्यायी (संपूर्ण विषय) स्वाध्यायी छात्र (एक विषय)	250/– 500/– 70/–
2	अंकसूची शुल्क		40/–
3	प्रायोगिक शुल्क	प्रति विषय	30/–
4	नामांकन शुल्क		80/–
5	परीक्षा आवेदन पत्र शुल्क	नियमित स्वाध्यायी	30/– 30/–
6	अनुमति शुल्क	नवीन स्वाध्यायी छात्रों हेतु	100/–
7	ग्राह्यता शुल्क	अन्य बोर्डो से आये नियमित छात्रों हेतु	200/–
8	परीक्षा केन्द्र परिवर्तन शुल्क		100/–
9	विषय/माध्यम/संकाय परिवर्तन शुल्क	प्रत्येक विषय के लिये	100/–
10	स्वाध्यायी का अग्रेषण शुल्क		15/–
11	प्रवेश पत्र शुल्क	डुप्लीकेट	50/–
12	नामांकन प्रमाण पत्र	डुप्लीकेट	50/–

नोटः– स.क्र. 10 में अंकित शुल्क अग्रेषणकर्ता अधिकारी अपने पास रखेगें।